

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक एफ.6(01)परीक्षा 'क' / प्राध्यापक / (स्कूल शिक्षा) / संगीत / 2022-23 / 798 दिनांक 15.09.2023 के द्वारा प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)-संगीत के पद पर पे-मैट्रिक्स लेवल (L-12) पर चयनोपरान्त संलग्न सूची में विवरणांकित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यर्थियों को प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)-संगीत के पद पर 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)-संगीत के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.12(06) एफडी(नियम) / 2005 दिनांक: 13.03.2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक: 30.10.2017 एवं दिनांक : 09.12.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के प्रावधानानुसार राजकीय सेवा में पूर्व से कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों को विकल्प के आधार पर विद्यमान वेतन/नियत पारिश्रमिक एवं नव चयनित कार्मिकों को नियत पारिश्रमिक नियमानुसार देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में राज्य बीमा की कटौती नहीं होगी। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प.2 (2) वित्त (नियम) 2021 पार्ट जयपुर दिनांक 25.05.2022 एवं 26.05.2022 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ.12(2)एफडी/रूल्स/2022 दिनांक 19.05.2022 द्वारा दिनांक 01.01.2004 व इसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों पर राजस्थान सिविल सेवा(पेंशन)नियम-1996(ओपीएस) प्रभावी होने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुसार सामान्य प्रावधानी निधि की नियमानुसार कटौतियां की जायेगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे :-

1. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि "अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमीलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा नहीं होना चाहिए"। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की श्रेणी में आता है तो उनको कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
2. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, संबंधित अभ्यर्थी अपनी माता-पिता की आय के आधार पर जारी पिता के नाम से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही मान्य होगा। यदि संबंधित अभ्यर्थी ऐसा नहीं करता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे एवं वस्तुस्थिति की जानकारी तत्काल इस कार्यालय को भिजवाई जावे।
3. संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी के शैक्षिक/प्रशिक्षक अकतालिकाओं/प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जाकर उनका मूल दस्तावेजों के साथ मिलान करें। संबंधित अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित अभ्यर्थियों से विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने सम्बंधी शपथ पत्र एवं अन्य नाम-उपनाम सम्बंधी शपथ पत्रादि प्राप्त करने के उपरान्त ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। आवेदन करने के तत्पश्चात् तलाकशुदा/विधवा महिलाओं द्वारा पुनर्विवाह वाले प्रकरणों में अभ्यर्थियों से आवेदन करने से पूर्व पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी आशय का शपथ पत्र अवश्य लेवे।
4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए-11/2019 जयपुर, दिनांक : 20.10.2019, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.11()/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि /19/ 14279-330 जयपुर, दिनांक : 12.03.2019 एवं क्रमांक : एफ.11()/आ.क.व./डीडीबीसी/सान्याअवि/19/62866-63066 जयपुर, दिनांक : 22.10.2019 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के अनुसरण में निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए तथा उक्त प्रमाण पत्र माता पिता की आय के आधार पर जारी होना वांछित है। विवाहित महिला आवेदकों के मामलों में पति व पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र मान्य

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.10.04 22:34:51 IST
Reason: Approved

[Type text]

RajKaj Ref No. : 4821392



- होगा, उपरोक्तानुसार स्थिति नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे तथा प्रकरण तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जावें।
5. उक्त नियुक्तियाँ (राजस्थान शिक्षा अधिकरण एवं राज्य) सेवा नियम-2021 और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन हैं।
 6. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति ही प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे तथा कार्मिक की व्यक्तिगत पंजिका में भी संलग्न किया जावें। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, उनके लिये यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।
 7. सभी संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) से सम्पर्क स्थापित कर दिव्यांग अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर एवं अभ्यर्थियों के दिव्यांगता/दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की जांच मेडिकल बोर्ड के माध्यम से करवाये जाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करावें। पूर्ण रूप से नेत्रहीन/दृष्टिहीन अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड से जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है।
 8. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक :- पं.1(1)कार्मिक/क-2/2016 जयपुर, दिनांक 04.12.2019 के अनुसरण में कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित जिला पुलिस-अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त एवं सदाचरण जांच प्रतिवेदन में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करवावें। अभ्यर्थी की सदाचरण जांच प्रतिवेदन में विपरीत टिप्पणी पायी जाती है या अभ्यर्थी द्वारा सदाचरण जांच प्रतिवेदन कार्यग्रहण करने से पूर्व प्रस्तुत नहीं किये जाने के उपरान्त भी संस्था प्रधान द्वारा कार्यग्रहण करवाया जाता है तो संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जो अभ्यर्थी पूर्व से ही राजकीय सेवा में सेवारत हैं, उनके लिये सदाचरण जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु न्यायिक/भ्रष्टाचारी/इत्यादि कोई भी प्रकार का मुकदमा/प्रकरण विचाराधीन नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/-रु. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
 9. पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों से विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावें।
 10. आवेदक द्वारा दहेज एवं धुम्रपान सम्बन्धी स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावें।
 11. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जावे अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष प्राध्यापक होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरंत विमुक्त कर सकेगी।
 12. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जीवित संतान/संतानों का घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप में) उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावे। दिनांक 01.06.2002 को अथवा पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं है परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
 13. भूतपूर्व सैनिक वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षित NOC FOR CIVIL JOB, NOC FOR HIGHER EDUCATION, RETIREMENT DIARY, PPO दोहरा लाम संबंधी दस्तावेज/शपथ पत्र एवं नियुक्ति पूर्व संबंधित प्राधिकारी को प्राध्यापक-स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा 2022 के पद हेतु आवेदन करने की सूचना आदि दस्तावेज प्राप्त करते हुए शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक : प. 5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट जयपुर, दिनांक 21.05.2019 को दृष्टिगत रखते हुए कार्यग्रहण संबंधी कार्यवाही सम्पादित करावें।
 14. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक.प.7(13) कार्मिक/क-2/23 दिनांक 11.05.2023 के अनुसार भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता, अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखने तथा पद के कर्तव्यों को राजनिष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्षता से किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जाकर सेवा अभिलेख में संकलित किया जावें।
 15. चयनित अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट <http://education.rajasthan.gov.in/> से नियुक्ति आदेश की प्रति डाउनलोड कर समस्त आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए संबंधित पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार करने हेतु अधिकृत होंगे।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.10.04 22:34:51 IST
Reason: Approved

[Type text]

RajKaj Ref No. : 4821392



16. संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी से उपाधि/डिग्री के वास्तविक (Genuine) होने का शपथ पत्र प्राप्त कर कार्यग्रहण की कार्यवाही करें।

संलग्न सूची में अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापित स्थान पर दिनांक 27/10/2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेज/सूचनाएं/तथ्य सही नहीं पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी। अतः संबंधित संस्था प्रधान तत्काल कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही सम्पादित करवाई जावे।

संलग्न सूची :- अभ्यर्थियों की संख्या (08)

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक-08/10/2023

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-5/नियुक्ति/आरपीएससी-22/संगीत

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाध्यापक/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
10. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
12. संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावें।
13. संबंधित प्राध्यापक।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

सत्यमेव जयते

[Type text]

RajKaj Ref No. : 4821392

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.10.04 22:34:51 IST

Reason: Approved



क्रमांक : शिविरा / मा / संस्था / सी-5 / नियुक्ति / आरपीएससी-22 / संगीत

दिनांक- 05/10/2023

SR. NO	ROLL NO	NAME	FNAME	ADRESSED	BIRTHDATE	CTG	CTG TYPE	SPL CAT	MERIT NO	POSTING PALACE	DISTRICT	PHOTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	104522	VISHANU BARETH	KEDAR MAL BARETH	VPO JOLA TEHSIL PIPLU - JOLA 304021 TONK Rajasthan	01-Aug-93	SC	GEN M		2	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL PACHLANGI (216152)(08050808113)	NEEM KA THANA	
2	108074	MANI TAK	OM PRAKASH TAK	430/34 PAL BEECHLA - AJMER 305001 AJMER Rajasthan	05-Jul-92	BC,WE	GENF		3	SETH MURLIDHAR MANSINGHKA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BHILWARA (222512)(08240848604)	BHILWARA	
3	159037	NISHCHAY KUMAR SAIN	BHANWARA RAM	SILAMPURIYA KUA WARD NO 6 - - sardarshahar 331403 CHURU Rajasthan	01-Sep-90	BC,BL	GEN M		4	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MAHARAJA CHOTI CHOPAR JAIPUR (218959)(08122607412)	JAIPUR	
4	121901	PREM KOLI	SANJAY	MOTIYA GALI SARAFA BAZAR ALWAR 301001 ALWAR Rajasthan	10-Nov-95	SC	SCM		5	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KAAROI KALAN (214797)(08240802103)	BHILWARA	
5	109792	OM PRAKASH	ROOP CHAND BABANI	1060 WARD NO 2 DUDHIYA MOHALLA NASIRABAD NASIRABAD 305601 AJMER Rajasthan	22-Jan-94	GE,EWS	EWS M		6	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KAREDA (214577)(08240514609)	BHILWARA	

सत्यमेव जयते

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation : Director
Date: 2023.10.04 22:34:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4821392



क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-5/नियुक्ति/आरपीएससी-22/संगीत

दिनांक-05/10/2023

SR. NO	ROLL NO	NAME	FNAME	ADRESSED	BITRHDATE	CTG	CTG TYPE	SPL CAT	MERIT NO	POSTING PALACE	DISTRICT	PHOTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	104204	VANDANA JANGID	VINOD KUMAR JANGID	NEAR PANCHMUKHI BALAJI TEMPLE POWER HOUSE STREET KRISHNAPURI KISHANGARH AJMER 305801	20-Jul-98	BC,WE	GENF		8	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL RAJMAHAL GULABSAGAR JODHPUR (220381)(08151503618)	JODHPUR	
7	239649	MADHUSUDAN MALAV	PARMANAND MALAV	WARD NO 19 NIMDI PADA ANTA - ANTA 325202 BARAN Rajasthan	31-Dec-96	BC	OBC M		9	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SHREERAM STADIUM BARAN (216864)(08310116305)	BARAN	
8	204185	NIKITA MEENA	BHARAT LAL MEENA	A-380, NEAR SATKAR MARKET, MALVIYA NAGAR, JAIPUR -- MALVIYA NAGAR 302017 JAIPUR Rajasthan	12-Aug-87	ST,WE, STM, DV,NG, RG			10	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL CHAWN ROAD BEAWAR (221702)(08210524502)	BEAWAR	

सत्यमेव जयते

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.10.04 22:34:51 IST
Reason: Approver

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref No. : 4821392

